म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / परिपत्र / 216 / 1959 भोपाल, दिनांक 19 / 12 / 2017

प्रति,

संयुक्त / उप सचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / जबलपुर / सागर / रीवा

विषयः–मंडी प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण मे कृषि उपज के प्रवेश पर सतर्कता से निगरानी रख, प्रविष्टि करने के संबंध में।

कृषि उपज मण्डी प्रांगण / उप मण्डी प्रांगण मे कृषि उपज के उत्पादक कृषको, ग्रामीण क्षेत्रो के छोटे फुटकर व्यापारियो व कृषि उपज के अन्य विक्रेताओ द्वारा विक्रय हेतु कृषि उपज लाई जाती है। जिसकी प्रांगण मे प्रवेश के पूर्व अनिवार्य तौर पर प्रविष्टि कर, नीलामी, अनुबंध, तौल, भुगतान पत्रक मे उक्त दिवस की दर्ज मात्रा से मिलान कर, प्रवेश की जिन्सवार मात्रा की स्थिति व मण्डी मे बिक्री की स्थिति और निकासी की मात्रा गणना कर, कृषक की उपज का भुगतान और मण्डी फीस की राशि की देयता आंकलन कर, व्यापारीवार मण्डी फीस की वसूली की कार्यवाही की जाती है। इसके लिये मण्डी अधिनियम, उपविधि तथा प्रबंध संचालक के निर्देशो मे नियमन प्रणाली निर्धारित कर लागू की गई है।

2/ उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभावी नियमन प्रवर्तन हेतु मण्डी क्षेत्र, मण्डी प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण मे कृषि उपज के यान, गोदाम, प्रतिष्ठान, प्रसंस्करण संयंत्र आदि के लगातार सत्यापन कर मण्डी अधिनियम की धारा 20, 21 एवं 23 के अनुसार कार्रवाही करने के भी निर्देश है।

3/ मण्डी प्रांगण / उप मण्डी प्रांगण की प्रवेश निगरानी चौकी पर पदस्थ / कार्यरत मण्डी निरीक्षक / उपनिरीक्षक द्वारा प्रांगण मे प्रवेश होने वाले कृषि उपज के प्रत्येक वाहक मे लाई जा रही कृषि उपज के स्कंध का परीक्षण कर सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नाधीन वाहन मे शासन अथवा उसकी किसी एजेन्सी या संस्था को किसी शासकीय योजना हेतु आवंटित खाद्यान्न या अन्य कृषि उपज तो नही है।

4/ यदि मण्डी प्रांगण / उप मण्डी प्रांगण मे प्रवेश होने वाले वाहक के स्कंध के बैग्स पर शासन के किसी संस्था का विवरण स्टेनसील / स्क्रीन प्रिन्ट पाया जाता है तो प्रवेश निगरानी चौकी के प्रभारी निरीक्षक / उपनिरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन स्कंध का पूरा परीक्षण, पड़ताल किये बिना प्रांगण मे प्रवेश नही दिया जायेगा।

5/ कंडिका कमांक 4/मे उल्लेखित स्थिति अनुसार, प्रश्नाधीन स्कंध के बैग्स पर शासन के किसी संस्था का विवरण स्टेनसील/स्कीन प्रिन्ट पाया जाता है तो प्रवेश निगरानी चौकी के प्रभारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रश्नाधीन स्कंध संबंधित संस्था के द्वारा प्रवेशकर्ता को विधिवत रूप से विकय किया गया हो।

6/ इस स्थिति मे भारतीय खाद्य निगम (FCI)/राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED)/नागरिक आपूर्ति निगम (NAN)/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED)/प्राथमिक विपणन सोसायटी (MARKETING SOCIETY) व अन्य शासकीय एजेन्सी/संस्थाओ के जिसका स्कंध बैग्स के विवरण मे उल्लेख हो के मंडी, ब्लाक स्तर अथवा जिला स्तर के अधिकृत अधिकारियो से पुष्टि/जानकारी प्राप्त कर ली जावे। इस प्रकार के प्रत्येक प्रकरण मे प्रवेश से पूर्व मण्डी सचिव की लिखित अनुमति प्राप्त की जावे। प्रवेश का समस्त विवरण प्रवेश पंजी मे लाल रंग की स्याही से दर्ज किया जावे।

7/ उपरोक्त निर्देशित व्यवस्था पर आंचलिक अधिकारियो द्वारा सजगता बरतते हुये मण्डी क्षेत्रो, मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगणो मे निरीक्षण दलो से लगातार इसकी सत्यापन की कार्यवाही करायी जावे। यदि किसी प्रांगण मे शासन द्वारा सार्वजनिक विपणन प्रणाली हेतु आवंटित/निर्धारित कृषि उपज का संदिग्ध कय विकय या अवैध भंडारण पाया जाता है, तो प्रांगण प्रभारी, प्रवेश प्रभारी तथा संबंधित उपज के घोष विकय मे संलग्न निरीक्षक/उपनिरीक्षक सहित मण्डी सचिव पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये आंचलिक प्रभारी आरोप पत्र व कार्यवाही का प्रस्ताव अविलम्ब मुख्यालय को प्रेषित करेगे। इस प्रकार से की गई कार्रवाही की जानकारी आंचलिक अधिकारियो की समीक्षा बैठक मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–6/नियमन/परिपत्र/216/1960 भोपाल, दिनांक 19/12/2017

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, म0प्र0 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
(2) अपर/संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय। (समस्त)
(3) चीफ प्रोग्रामर/एमआईएस मण्डी बोर्ड, मुख्यालय की ओर परिपत्र को समस्त संबंधितो को मेल करा, मंडी बोर्ड की वेब साईट **www.mpmandiboard.gov.in** पर प्रदर्शित करावे।
(4) अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)।
(5) गार्ड फाइल/परिपत्र/संबंधित नस्ती मंडी बोर्ड।

19/12/17
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल